संख्या 769 / XXIV(1)/न0सृ0अनु0/114/2017

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

विषयः– कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण सम्बन्धी शासनादेश 28–11–2017 में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 672/ XXIV(1)/ न0सृ0अनु0/114/2017 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के क्रम में अपने पत्रांक– पा0पु0/27388/नौ–II (42)/2017–18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, तद्नुसार उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में आपके प्रस्तावानुसार आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किए जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

1. कक्षा 1 से 12 तक की समस्त निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0 आर0टी0 की ही छपायी जायेंगी, उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत भाषा कक्षा–3 से पढ़ाई जाती है, जिसके लिए एस0सी0ई0आर0टी0 ने पुस्तक बनायी है। क्योंकि एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से लागू है, ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु कक्षा–3 से एन0सी0आर0टी0 के एवज में एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार करायी गई संस्कृत की पुस्तक जो कक्षा–3 से लागू है, छपायी जाय। इन पाठ्य– पुस्तकों हेतु कागज एवं मुद्रण की पृथक–पृथक निविदा की जाय। निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के कागज व मुद्रण की निविदा की दरें एन0सी0ई0आर0टी0 के मानकों से न्यूनतम निर्धारित की जाय।

2. कक्षा 1 से 12 तक की खुले बाजार/सशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली एन0सी0ई0आर0टी एवं एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा विकसित, समस्त पाठ्य पुस्तकों हेतु कागज सहित मुद्रण की निविदा की जाय तथा एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य–पुस्तकों के बिक्री मूल्य हेतु, एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर ही निविदा आमंत्रित की जाय।

––2

3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों सहित वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. क्रय/निविदा समिति के अध्यक्ष, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा होंगे तथा उक्त समिति में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त बाहरी वित्त नियंत्रक श्री गंगा प्रसाद शर्मा, कार्यालय अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड को भी पारदर्शिता के दृष्टिगत सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड यदि किसी अन्य व्यक्ति को उक्त समिति में सदस्य रखना चाहते हैं तो वे इसके लिए स्वंतत्र हैं।

शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या 789 (1)/ XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।

2– पाठ्य–पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

3– निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– श्री गंगा प्रसाद शर्मा, वित्त नियंत्रक, कार्यालय अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव